कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर (छ.ग.)

Phone No. (07775)-266992 (O) E-mail Id -dfosurajpur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./ 4073 सूरजपुर, दिनांक/25/ 10/2019

प्रति

Project Head Venika Hydro Projects Pvt. Ltd.
no. C-4, 5th Floor, Opp. Magneto Mall Moti
Mahal Palladium VIP Square, G.E Road Raipur (C.G.)

विषयः– Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Mahan SHP - III Hydro Power Project area - 9.584 ha. regarding.
– पंजीयन क्रमांक– FP/CG/TRANS/33519/2018

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर का पत्र क्रमांक F.No. FC-II/ CH-118/ 2019-NGP /5750 dated 24.09.2019
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./3873 दिनांक 14.10.2019

—00—

विषयांतर्गत कार्यालयीन संदर्भित पत्र क्रमांक – 2 में प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु सूरजपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र घुई अंतर्गत प्रभावित संरक्षित वनभूमि 3.552 हे. एवं वन विकास निगम अन्तर्गत संरक्षित वनभूमि 6.032 हे. कुल 9.584 हे. वनभूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव की प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के पालानार्थ जारी मांग पत्र को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कार्यो के लिये संशोधित मांग पत्र जारी किया जाता है ।

उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के अधिरोपित शर्त क्रमांक – v के परिपालन में सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर एवं वन विकास निगम अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र 9.584 हे. हेतु मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर के पत्र क्रमांक/मा.चि./5143 दिनांक 25.10.2019 के द्वारा प्रत्याशा मूल्य की राशि रू0 7695952=00 (छिहत्तर लाख पनचानवे हजार नौ सौ बावन रूपये मात्र) जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के अधिरोपित शर्त क्रमांक– iv के परिपालन में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि 9.584 हे. के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये समतुल्य गैर वनभूमि रकबा 9.584 हे. ग्राम पलारीडांड, प.ह.न. 10, रा.नि.मं. सोनहत, तहसील सोनहत, जिला कोरिया में चयन किया गया है । वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वनभूमि 9.584 हे0 हेतु 10 वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2019–20) हेतु 726270/हेक्टेयर की दर से कुल आवश्यक राशि रू. 6960572.00 (उनहत्तर लाख साठ हजार पांच सौ बहत्तर रूपये) मात्र है।

प्रथम चरण की अधिरोपित शर्त क्रमांक–ix के परिपालन में वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाईन के निचे बौना प्रजाति के औषधीय पौधों के रोपण (वनक्षेत्र में कुल लम्बाई– 3550.00 मी. एवं चौडाई – 3.00 मी. = 10650 वर्गमीटर या 1.065 हे. हेतु वर्ष 2019–20 के लिए (सिंचित) रोपण 726270/हेक्टेयर की दर से कुल आवश्यक राशि रू. 773478.00 (सात लाख तिहत्तर हजार चार सौ अठहत्तर रूपये) मात्र है।

Memo

Scanned by CamScanner

अतः उक्त प्रकरण में प्रत्याशा मूल्य, वैकल्पिक वृक्षारोपण (वर्ष 2019–20) एवं औषधीय पौधों की रोपण (वर्ष 2019–20) के निर्धारित दर से आवश्यक राशि का विवरण निम्नानुसार है–

अधिरोपित शर्त क्रमांक	विवरण	पूर्व में जारी आवश्यक राशि	संशोधित आवश्यक राशि
v	गणना पत्रक अनुसार प्रत्याशा मूल्य की अनुमोदित राशि	3847976.00	7695952.00
iv	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि 9.584 हे. के बदले समतुल्य गैर वनभूमि 9.584 हे0 पर वैकल्पिक वृक्षारोपण (सिंचित) की राशि	6960572.00	6960572.00
ix	औषधीय वृक्षारोपण 1.065 हे. हेतु राशि	773478.00	773478.00
	योग :–	11582026.00	15430002.00

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रथम चरण स्वीकृति के पश्चात प्रस्ताव से सम्बधित समस्त भुगतान कार्पोरेशन बैंक नई दिल्ली के CAMPA खाता में जमा करने हेतु ई–चालान के माध्यम से भारत सरकार की वेब साईट http://forestclearence.nic.in द्वारा किया जाना है। ई–चालान की विस्तृत जानकारी के लिये भारत सरकार की वेब साईट की होम पेज में सपोर्ट टैब में क्लिक कर ई–चालान के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रभावित वनभूमि 9.584 हे. के लिये उपरोक्त विवरर्णित कार्यो अनुसार संशोधित कुल राशि **15430002.00 (एक करोड़ चौवन लाख तीस हजार दो रूपये)** मात्र का भुगतान कार्पोरेशन बैंक नई दिल्ली के CAMPA खाता में ई–चालान के माध्यम से जमा कर ई–चालान की कॉपी के साथ भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर के संदर्भित पत्र द्वारा जारी प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का बिन्दूवार पूर्ण पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करें।

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

पृ.क्रमांक/मा.चि./ 4074 सूरजपुर, दिनांक/25/10/2019

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वन वृत्त अम्बिकापुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर

Memo

Scanned by CamScanner